कार्यालय टिप्पणी अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) 45/10 श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्रकरण सं0 45/10
राजकुमार के विधिक उतराधिकारीगण बनाम बहादुर राम वगैरा
उपस्थित : 1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलांटस
2. रेस्पो0 सं0 1 से 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

आदेश दिनांक : 12–07–2017

.....

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि धारा 183 (बी) का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। विवादित जमीन वर्ष 1965 में खरीद की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183(बी) का वाद पत्र खारिज कर दिया तथा धारा 175 आर0टी0 एक्ट के तहत वाद उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में पेश करने के लिए अपीलाधीन आदेश द्वारा निर्देश दिया गया जबकि विवादित भूमि सादुलशहर तहसील क्षेत्र की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविरूद्व है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 13–6–12 एवं रेस्पोडेन्ट सं0 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 24–1–12 को हो चुके हैं। रेस्पोडेन्ट सं0 5 व 6 के अधिवक्ता दौराने बहस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा उनके प्रकरण सं0 49/09 अनवानी बहादुर वगैरा बनाम कृष्णा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0टी0 एक्ट के तहत दिनांक 03–03–10 को निर्णय पारित कर, अनुसूचित जाति के व्यक्तिों द्वारा रेसपोडेन्टस कृष्ण लाल वगैरा जो गैरअनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, को रकबा बेचान किया गया है, केबारे में रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 26–04–1965 का है जिससे राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन मानते हुए, धारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में विवादित रकबा का धारा 175 आर0टी0एक्ट का प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर जो कि जिला हनुमानगढ में है, के न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये गये हैं जबकि विवादित रकबा चक 10 एसडी0एस0 तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के क्षेत्र का है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत वाद उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में पेश करने का जो आदेश दिया है, वह क्षेत्राधिकार के संबंध में त्रुटिपूर्ण एवं विधिसम्मत् नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है । अतः मेरे विन्रम मत में सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के संबंध में प्रकरण जॉच हेतु तहसीलदार, सादुलशहर को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप अपीलांटस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–03–10 धारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के संबंध में निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत् रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन भूमि के विवाद के संबंध में अन्तर्गत धारा 175 आर0टी0 एक्ट के तहत मामला विचारण हेतु सक्षम न्यायालय कौनसा है, निर्धारित करें तथा इसमें समुचित एवं विधिक कार्यवाही हेत संबंधित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

आदेश दिनांक : 12–07–2017

.....

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि धारा 183 (बी) का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। विवादित जमीन वर्ष 1965 में खरीद की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 183(बी) का वाद पत्र खारिज कर दिया तथा धारा 175 आर0टी0 एक्ट के तहत वाद उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में पेश करने के लिए अपीलाधीन आदेश द्वारा निर्देश दिया गया जबकि विवादित भूमि सादुलशहर तहसील क्षेत्र की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविरूद्व है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 13–6–12 एवं रेस्पोडेन्ट सं0 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 24–1–12 को हो चुके हैं। रेस्पोडेन्ट सं0 5 व 6 के अधिवक्ता दौराने बहस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा उनके प्रकरण सं0 49/09 अनवानी बहादुर वगैरा बनाम कृष्णा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0टी0 एक्ट के तहत दिनांक 03–03–10 को निर्णय पारित कर, अनुसूचित जाति के व्यक्तिों द्वारा रेसपोडेन्टस कृष्ण लाल वगैरा जो गैरअनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, को रकबा बेचान किया गया है, केबारे में रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 26–04–1965 का है जिससे राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन मानते हुए, धारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में विवादित रकबा का धारा 175 आर0टी0एक्ट का प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर जो कि जिला हनुमानगढ में है, के न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये गये हैं जबकि विवादित रकबा चक 10 एसडी0एस0 तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के क्षेत्र का है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत वाद उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में पेश करने का जो आदेश दिया है, वह क्षेत्राधिकार के संबंध में त्रुटिपूर्ण एवं विधिसम्मत् नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है । अतः मेरे विन्रम मत में सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के संबंध में प्रकरण जॉच हेतु तहसीलदार, सादुलशहर को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप अपीलांटस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–03–10 धारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के संबंध में निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत् रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन भूमि के विवाद के संबंध में अन्तर्गत धारा 175 आर0टी0 एक्ट के तहत मामला विचारण हेतु सक्षम न्यायालय कौनसा है, निर्धारित करें तथा इसमें समुचित एवं विधिक कार्यवाही हेतु संबंधित उतरदायी पदाधिकारी (भूमिधारी, तहसीलदार, सादुलशहर) को निर्देशित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27–7–17 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार, सादुलशहर) को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 12–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।